FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

चिमाराम बनाम खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० काश्त० 111,128 RLRAct 46/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/01/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री चुनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/03/19 को पेश हो।	
05/03/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 26/04/19 को पेश हो।	
26/04/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 18/06/19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

18/06/19 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm. पर लगाई गई विपार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत के रास्ते और पक्की मेखबंदी स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का मेखबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेखबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेखबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जिला को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेखबंदी मौके पर मुताबिक जमाबंदी करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 332 दिनॉक:– 18/06/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चिमाराम पुत्र नैनाराम वगैरा 2 जाति भील निवासी खारड़ा भारतसिह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1.खेताराम पुत्र गेनाराम वगैरा 12 जाति भील निवासी खारड़ा भारतसिह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 46 / 19

आदेश

मौजा ग्राम खारड़ा भारतसिह पटवार हल्का खारड़ा भारतसिह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 191 रकबा 08–06 बीघा की भुमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वें स्वंय या अपने किसी अधिनस्थ भू.अ. निरिक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

क्रमांक / वाद / 2019 / 333 – 337 दिनांक :- 18/06/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीहलदार गिड़ा
2. पटवारी खारड़ा भारतसिह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थीगण चिमाराम पुत्र नैनाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र गेनाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला - बाड़मेर

Scanned by CamScanner